ग्राम पंचायत डुघिलग, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.22 से 31.03.24
भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत डुघिलग, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति रजनी	01.04.22 से 31.03.2024 तक

सचिव :-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री महिन्द्र सिंह	01.04.22 से 31.03.2024 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत डुघिलग के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर का समाधान न करने बारे	0.82
2	5 (क)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	26.36
3	6 (क)	पंचायत राजस्व गृह कर की प्राप्त योग्य राशि की वसूली न करना	3.33
4	7	सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवेहलना करके निर्माण कार्यों व सामग्री पर व्यय करने बारे ।	20.00
5	8 (क)	पूर्व में किए गए निर्माण कार्यों हेतु जारी मस्ट्रोलों का कालातीत भुगतान करने बारे ।	0.43
6	8 (ख)	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	0.88

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गयी, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "1"** पर दर्शाई गई है ।:-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत डुघिलग, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.10.2024 से 30.10.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/23	09/22
2023-24	03/24	12/23

<u>अस्वीकरण :-</u> अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत डुघिलग, विकास ख़ण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 4800/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 12 दिनांक 30.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है। जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत डुघिलग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रोत व अन्य अनुदान :- ग्राम पंचायत डुघिलग के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (2)** में संलग्न है :-

Financial position of Gram Panchyat Dughilag					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	5441628.00	1350345.00	6791973.00	5333518.00	1458455.00
2023-24	1458455.00	3239865.00	4698320.00	2195292.00	2503028.00

बैंक समाधान विवरणी :-	
स्व स्त्रौत व अन्य अनुदान :-	
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	2503028.00
कुल योग	**2503028.00**
दिनांक 31.03.24 को हस्तगत रोकड़ राशि का अंत शेष	69.00

दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष **(परिशिष्ट - 3)**	2420539.99
कुल योग	**2420608.99**
अंतर की राशि	**82419.01**

(ii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत डुघिलग के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (4)** में संलग्न है :-

Financial position of 15 th FC of Gram Panchyat Dughilag

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	2557190.00	2319158.00	4876348.00	1053354.00	3822994.00
2023-24	3822994.00	603780.00	4426774.00	1790495.00	2636279.00

15 वां वित्तायोग :-	
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	2636279.00
घटाव : दिनांक 15.09.2020 को बैंक चार्जिज के रूप में काटी गयी राशि को 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना	236.00
घटाव : दिनांक 06.10.2022 को बैंक चार्जिज के रूप में काटी गयी राशि को 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना	236.00
घटाव : दिनांक 22.09.2023 को बैंक चार्जिज के रूप में काटी गयी राशिको 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना	236.00
कुल योग	**2635571.00**
दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष **(परिशिष्ट – 3)**	2635571.00
अंतर की राशि	**0.00**

(iii) एम जी नरेगा (परिशिष्ट -5)

Financial position of MGNREGA of Gram Panchyat Dughilag

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	0.00	1716755.80	1716755.80	1716755.80	0.00
2023-24	0.00	1610015.00	1610015.00	1610015.00	0.00

4.1 E- Gram swaraj में संधारित रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹ 0.82 लाख का समाधान न करने बारे ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान सम्पत्ति इत्यादि का इंद्राज करना था। पंचायत के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में **E- Gram swaraj** में संधारित रोकड़ बही कुल प्राप्तियाँ व कुल खर्चो को दर्ज किया गया था परंतु बैंक खातों में से मिलान नही किया गया था। इस प्रकार **E- Gram swaraj** एप्लीकेशन के अंतर्गत दर्ज आंकड़ो का वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़ो से मिलान न होने पर बैंक शेष व **E- Gram swaraj** रोकड़ वही मे अंतर के कारण **E- Gram swaraj** रोकड़ वही में दर्ज आंकड़ो के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) के अंतर्गत प्रारम्भ की गयी इस एप्लीकेशन को परिपूर्ण करने का उद्देश्य निष्फल रहा तथा रोकड़ बही व प्रिआसॉफ्ट में लेखो के सही होने की पुष्टि लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकती। अत: ग्राम पंचायत की **E- Gram swaraj** में संधारित रोकड़ बही तथा बैंक खातों में कुल **₹ 82419.01** का अंतर पाया गया जिसका पंचायत द्वारा समाधान नहीं किया गया था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है | उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 04 दिनाँक 25.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक खातो व रोकड़ बही का मिलान नियमानुसार किया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 स्व: स्त्रोत के पृथक पंचायत निधि खाता "क" न खुलवाने बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित,बजट,लेखे,सम्परीक्षा,सकर्म,कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 4 (i) के अनुसार ग्राम पंचायत के अपनी आय (स्व स्त्रोत) के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाएगा | यह खाता पंचायत निधि खाता –"क" के रूप में जाना जाएगा तथा' सहायता

अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियों के लिए पृथक खाता खोला जाएगा, जो पंचायत निधि खाता –"ख" के रूप में जाना जाएगा । अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व: स्त्रोत) के लिए पृथक बैंक खाता नही खोला गया था जबकि अनुदानों और सभा निधि का रख-रखाव एक ही खाते में किया गया था तथा सभा निधि से सम्बधित आय व्यय को अनुदानों बाले खाते से ही प्राप्ति एवं भुगतान किया जा रहा है जो कि उक्त नियम के विपरीत है | इससे सभा निधि के सही आय व्यय का पता लगाना कठिन है व न ही अनुदान राशियों के उपयोग होने का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 08 दिनाँक 26.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत द्वारा शीघ्र ही अपनी आय (स्व: स्त्रोत) के लिए पृथक खाता खोला जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि सभा निधि में प्राप्त आय की गणना के उपरांत सभा निधि के लिए खाता (क) का अलग से रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

5 **(क) 15 वां वित्तायोग से प्राप्त अनुदान ₹ 26.36 लाख का उपयोग न करना :-**

सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक 15 वां वित्तायोग से प्राप्त अनुदान से ₹ 26,36,279.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी । जिसका विस्तृत विवरण **पैरा संख्या 4 (ii)** में दिया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः 15 वां वित्तायोग की अनुपयुक्त अनुदान राशि को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान राशियों का 31.03.2024 तक उपयोग हेतु शेष राशि बारे ।

अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त होने बाले अनुदानों के लिए पृथक बैंक खाता नही खोला गया था जबकि पंचायत द्वारा अनुदानों और सभा निधि का रख-रखाव एक ही खाते (मिश्रित रूप) में किया गया था जो कि उक्त नियम के विपरीत है इससे अनुदान राशियों के उपयोग होने तथा शेष राशि का पूर्ण विवरण प्राप्त नही होता है । ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख रखाव भी

ANNUAL REPORT

नहीं किया गया था जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि किस शीर्ष के अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा कितनी राशि व्यय की गयी थी। परिणामस्वरूप यह ज्ञात करना कठिन है कि वर्ष 2023-24 में अनुदान की कितनी राशि उपयोग हेतु शेष थी । इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 09 दिनाँक 26.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अत : परामर्श दिया जाता है कि अनुदान राशियों व सभा निधि को एक खाते में न रख के अलग-अलग खाते का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत डुघिलग द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है । अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹ 3.33 लाख की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (6)** अनुसार **₹ 332760.00** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) स्व : स्त्रोत से प्राप्त आय ₹ 0.06 लाख की राशि को पंचायत निधि में जमा न करके व्यय करने बारे ।

ग्राम पंचायत डुघिलग विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा स्वः

ANNUAL REPORT

स्त्रोत से प्राप्त आय के रूप में वसूली की गयी **₹** 5794.00 की राशि को पंचायत निधि में जमा करवाए बिना ही व्यय किया गया था जबकि नियमानुसार उपरोक्त राशियों को निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था । पंचायत द्वारा इन राशियों को निधि में जमा कराए बिना ही खर्च कर दिया जोकि सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाता है । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	**प्राप्ति**	**रोकड़ से व्यय राशि**	**जमा बैंक**
2022- 23	4360	2596	1764
2023-24	9026	3198	5833
योग	**13386**	**5794**	**7597**

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 11 दिनाँक 30.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में उचित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा तथा इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत : परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक आय को बैंक में जमा करने के उपरांत ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपाना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि ₹ 0.10 लाख को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधियाचना संख्या :-एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016(हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संसोधन) नियम 2016) के बिन्दु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नगद द्वारा या Money ओर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और एसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । ग्राम पंचायत डुघिलग के अभिलेखों की पड़ताल एवं उपलब्ध करवाई गयी सुचना के अनुसार पंचायत को वर्ष 2022-23 व 2023-24 में **परिशिष्ट -7** अनुसार ₹10600 की राशि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुई थी । नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण से प्राप्त राशि को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में राजकीय कोष के शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण से प्राप्त राशि को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा नहीं करवाया जा रहा है । उक्त धन

राशि को ग्राम पंचायत द्वारा द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि 04/2022 से 03/2024 तक ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था जोकि नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी। सचिव ग्राम पंचायत डुघिलग को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 05 दिनाँक 25.10.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को शीघ्र ही संबन्धित विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस भविष्य में इस राशि को समय समय पर संबन्धित विभाग में जमा कर दिया जाएगा। अतः विवाह पजीकरण शुल्क को सम्बन्धित विभाग को प्रदान न करने का कारण व हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संसोधन) नियम 2016 की अनुपालना न करने का कारण लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए।

7. सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवेहलना करके ₹ 20.00 लाख की सामग्री पर व्यय करने बारे ।

सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या file No –RDD-XEN-/2018 –e-tendring दिनांक जुलाई 2018 के अनुसार ₹ 5.00 लाख से अधिक के सामान को क्रय करने व निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु E-Tendering की प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत डुघिलग के विभिन्न भुगतान वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि **परिशिष्ट -8** अनुसार कुल ₹ 2000000/- के निर्माण कार्य जिनका स्वीकृत मूल्य ₹ 5.00 लाख व उससे अधिक था उस कार्य का निष्पादन करने हेतु E-Tendering को avoid करके पंचायत द्वारा अपने स्तर पर किया गया था, जोकि विकासात्मक कार्य में अनावश्यक देरी व व्यक्तिगत लाभों की संभावना को परिलक्षित करता है ।

क्र स०	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत राशि**
1	अपवर्धन पंचायत घर	500000
2	नि० रोड मेन छुरला से बालक राम के घर की ओर	500000
3	निर्माण पक्का रास्ता सुममा गुडु के घर से फुगनी माता मन्दिर की ओर	500000
4	निर्माण पक्का रास्ता जाईरु से गाँव शीलधारी की ओर	500000
	कुल योग	**2000000**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 06 दिनाँक 26.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस बारे में नियम की जानकारी न होने के कारण राशि का व्यय कर लिया गया था परंतु भविष्य में इस नियम का ध्यान रखा जाएगा व त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत : E-Tendering को avoid करके पंचायत द्वारा अपने स्तर पर किया गया था , जोकि विकासात्मक कार्य में अनावश्यक देरी व व्यक्तिगत लाभों की संभावना को परिलक्षित करता है जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

08. (क) पूर्व में किए गए निर्माण कार्यों हेतु जारी ₹ 0.43 लाख के मस्ट्रोलों का कालातीत भुगतान करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 102(7) के अनुसार मस्ट्रोल की भुगतान नहीं की गयी राशियों को रजिस्टर में दर्ज करने के उपरांत 6 माह की अवधि तक इस प्रकार के भुगतान को किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए परंतु सचिव द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यों हेतु जारी किए गए मस्ट्रोलों का भुगतान 2 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात वर्ष 2022-23 में किया गया था । मस्ट्रोलों की जांच में पाया गया कि न ही मस्ट्रोलों में कार्य करने की नयी अवधि दर्शाई गयी थी तथा न ही उस कार्य/मस्ट्रोल में देरी से भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया गया था व न ही देरी से भुगतान करने के सम्बंध में उचित सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी थी जिस कारण सहायक दस्तावेज़ न होने के कारण उपरोक्त भुगतान अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है ।

क्रम संख्या	निधि	मस्ट्रोल संख्या/दिनांक	कार्य का नाम	कार्य करने की अवधि	भुगतान की तिथि	भुगतान की गयी राशि
1	14 th Fc	018367/07.10.2019	निर्माण पक्का रास्ता गुड्डू की दुकान से बीर चंद के घर तक	01.11.19 से 30.11.19	29.10.2022	30960
2	SDRF	018266/23.07.21	R/o Path Kali Mata mandir to Jairu tak Vill. Shildhari	24.07.21 से 31.07.21	12.04.2023	12368
						43328

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 11 दिनाँक 30.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस बारे में विभागीय स्तर पर अपेक्षित जांच की जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा । अत : इस प्रकार के अन्य भुगतानों की जाँच विभागीय स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उचित सक्षम अधिकारी से देरी से भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी राशि की वसूली करके संबन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए व अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर से निर्माण सामग्री के एवज में खनन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र/फॉर्म W अथवा X प्राप्त किए बगैर भुगतान के फलस्वरूप राशि `₹0.88 लाख की सरकारी कोष को सम्भावित हानि ।

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त/फॉर्म 'X' या 'W' प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं करेगा परन्तु **परिशिष्ट "9"** में दिए गए मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र/फॉर्म 'X' या 'W' प्राप्त न करने के फलस्वरूप सम्भवतः राशि ₹88365.00 की राजकीय कोष को हानि हुई है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 11 दिनाँक 30.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ठेकेदार /सप्लायर से रॉयल्टी की राशि अवधि 01-04-22 से 31-03-24 तक नहीं वसूली गयी थी जिसे संबन्धित ठेकेदार /सप्लायर से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः परामर्श दिया जाता है कि आपूर्ति की गई निर्माण सामग्री के एवज में संविदाकार/आपूर्तिकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र/फॉर्म 'X' या 'W' प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि राजकोष को किसी

भी प्रकार की हानि न हो तथा उपरोक्त पाए गए प्रकरण में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.27 लाख का संविदाकार को अनियमित भुगतान करने बारे :-

सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की पड़ताल करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने हेतु बिलों का भुगतान किया गया था। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/फर्म/संविदाकार के द्वारा प्रस्तुत भुगतान बिलों से स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था। परंतु ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान **₹ 27247** की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। जिसका विवरण (**परिशिष्ट 10)** में दिया गया है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 11 दिनाँक 30.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कटौती न करने के कारण ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके संबधित सरकारी विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(घ) संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण ₹0.30 लाख का अधिक भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश जी0 एस0 टी0 अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि0प्र0 आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part-(278/25)-2950 दिनांक 28-09-2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति /फ़र्म /संस्था /स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (person/HUF/Firm/Local authority /govt. deductor) द्वारा संविदाकार संविदाकार व्यक्ति ,फ़र्म को सेवाएँ तथा वस्तुएँ प्रदान करने के बदले ₹ 250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1 %सी0जी0एस0टी0 +1% एस0जी0एस0टी0 –अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2%आई0जी0 एस0 टी0 – अंतरराजीय आपूर्ति)की दर से जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0की कटौती संबन्धित

व्यक्ति/फ़र्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित है । सचिव द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को निर्माण कार्यों हेतु सामग्री की आपूर्ति तथा निर्माण कार्यों को करने हेतु ₹ 1939274.00 की राशि भुगतान किया गया था इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर **₹ 30115.00** की राशि की जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 के रूप में कटौती नहीं की गई थी । जिसका विवरण **परिशिष्ट (11)** में दिया गया है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 11 दिनाँक 30.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बंध में उचित जांच की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत : उपरोक्त प्रकरण को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

09. मनरेगा निधि से ग्राम रोजगार सहायक को ₹ 0.46 लाख के वेतन का अनियमित भुगतान करने बारे ।

मनरेगा निधि के व्यय वाउचरो की पड़ताल में पाया गया कि चयनित माह 09/2022 के वाउचर संख्या/रसीद संख्या 07 दिनांक 01.09.2022 को ₹ 45583 की राशि ग्राम रोजगार सहायक को वेतन प्रदान करने हेतु अहारित की गई थी जबकि मनरेगा निधि से विकासात्मक कार्य पर ही व्यय किया जाना अपेक्षित था परंतु ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा निधि से वेतन का भुगतान किया गया था जोकि अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है साथ ही वेतन के दोहरे भुगतान की संभावना को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 11 दिनाँक 30.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस भुगतान की जांच ब्लॉक कार्यालय से की जाएगी तथा इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेने के उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा, उत्तर संतोष जनक नहीं है । अत : मनरेगा निधि से किए गए वेतन भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जानी सुनिश्चित की जाये अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. निर्माण कार्यों हेतु क्रय किए गए रेत व बजरी की कम खपत करने के कारण ₹0.06 लाख का अधिक व अनियमित व्यय करने बारे ।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरो की पड़ताल में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न विवरणानुसार विभिन्न कार्यों हेतु रेत व बजरी स्टॉक से जारी की गयी थी । जबकि संबन्धित कार्य की माप पुस्तिका की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत द्वारा जितना रेत व बजरी उस कार्य को करने के लिए क्रय/जारी किया गया था उससे कम सामग्री की खपत निर्माण कार्य में की गयी थी । परिणामस्वरूप इन कार्य को करने हेतु जितने रेत व बजरी की आवश्यकता थी उससे अधिक रेत व बजरी जारी की गयी थी जोकि अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है साथ ही सरकारी कार्य हेतु क्रय की सामग्री के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है ।

Sr. No.	Work Name	MB No/Page No	Item Name	Stock Register Page No	Total Quantity issued as per Stock register (CFT)	Total Quantity Consumed As per MB (CFT)	Excess Quantity Issued (CFT)	Item Rate	Total Excess Steel Amount
1	C/o road jairu to Village Shildhari	465/97, 466/65	Sand	23	600	536	64	48	3072
2	C/o road jairu to Village Shildhari	465/97, 466/65	Agg	23	530	495	35	40	1400
3	C/o footpath Mani Ram Nautor to Ram nath Field	478/8, 547/10	Sand	23	160	127	33	48	1584
	Total								**6056**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 11 दिनाँक 30.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : निर्माण कार्य हेतु अवश्यकता से अधिक ₹6056 की क्रय की गई सामग्री की उपयोगिता के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा

आवश्यकता से अधिक व्यय की गई राशि की वसूली अचित स्त्रोत से करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अंतगर्त विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है ।

ग्राम पंचायत डुघिलग खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र ०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया । जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल प्रिंटर व लेपटॉप ही दर्ज किया गया था तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे । इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे फ़र्निचर,टेवल ,कुर्सी ,क्रॉकरी,हीटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था । इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था । पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई अप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था । अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा । पंचायत द्वारा उपरोक्त अप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन ही नहीं बल्कि पंचायत सचिव की लापरवाही भी है जो की गंभीर अनियमितता है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 02 दिनाँक 24.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव

द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में शीघ्र ही दर्ज किया जाएगा । अत : पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करने के कारणो को स्पष्ट किया जाये तथा शीघ्र ही दर्ज करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

12. भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि होने बारे ।

अभिलेखों की नमूना पड़ताल में पाया गया कि ग्राम पंचायत डुघिलग खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र ०) में भू-राजस्व की जो राशि वर्ष में दो बार खरीफ फसल तथा रवी फसल के दौरान लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती है परंतु अभिलेखो की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत को वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में भू- राजस्व से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है जोकि अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है व साथ ही सरकारी धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । पड़ताल में यह भी पाया गया पंचायत द्वारा नियमानुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है। जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके । अतः पंचायत सचिव द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी अंकेक्षण के दौरान जांच की जा सके । अत :भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाये जाने के कारण व वर्ष 2022-23 व 2023-24 में भू राजस्व की राशि की प्राप्ति न करने के कारणो को भी स्पष्ट किया जाए ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 03 दिनाँक 25.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुघिलग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भू-राजस्व से प्राप्त आय का मामला नंबरदार से व संबन्धित विभाग में उठाया जाएगा व वर्ष 2022-23 व 2023-24 की बकाया राशि की वसूली शीघ्र की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार

की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाये जाने के कारण स्पष्ट किये जाए तथा शेष राशि की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

13 **(क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। अत: सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
7	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15. लघु आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16. निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

02 JAN 2025

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष नं0–0177–2626670

65 – 69 का0 / 50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(3)19 / 2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
5 सचिव, ग्राम पंचायत डुघीलग, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JAN 2025

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष नं0–0177–2626670

का0/50

परिशिष्ट-"क", पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण	टिप्पणी
1.	पैरा-3	निर्णीत	ड्राफ्ट संख्या 138778 दिनांक 31.03.2018 के दृष्टिगत निर्णीत
2.	पैरा-4	निर्णीत	निर्णित व पुनः प्रारूपित
3.	पैरा-4.1	अनिर्णीत	
4.	पैरा-4.2	अनिर्णीत	
5.	पैरा-4.3	अनिर्णीत	
6.	पैरा-4.4	अनिर्णीत	
7.	पैरा-5	अनिर्णीत	
8.	पैरा-6	निर्णीत	निर्णित व पुनः प्रारूपित
9.	पैरा-6.1	अनिर्णीत	
10.	पैरा-7	निर्णीत	निर्णित व पुनः प्रारूपित
11.	पैरा-8	अनिर्णीत	
12.	पैरा-9	अनिर्णीत	
13.	पैरा-10	अनिर्णीत	
14.	पैरा-11	अनिर्णीत	
15.	पैरा-12	अनिर्णीत	
16.	पैरा-13	अनिर्णीत	
17.	पैरा-14	अनिर्णीत	
18.	पैरा-15	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	18
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	12
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	4
अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	26

पारिशिष्ट – 2
पैरा संख्या – 4(1)

Financial position of Gram Panchyat Dughilag					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	5441628.00	1350345.00	6791973.00	5333518.00	1458455.00
2023-24	1458455.00	3239865.00	4698320.00	2195292.00	2503028.00

Note: Opening Balance taken as per Bank Pass Book.

J.A.

Secretary
Gram Panchayat
Block Dev Kullu (H.P.)

परिशिष्ट संख्या - 3
पैरा संख्या - 4(1), 4(ii) बैंक समाधान विवरणी से संबंधित

कार्यालय ग्राम पंचायत डूघीलग

विकास खंड कुल्लू जिला कुल्लू

Sr. no	Bank A/C No	Branch	Head	C.B
1	20006006360	KCCB Kullu	BASP,SDRF.VKVNY,SDP,MPLad, MMGPY,5State	2420539.99
2	50100344173541	HDFC Kullu	15FC	2635571.00
3	50065168490	KCCB Kullu	14 FC	0 .00
	Total			**5056110.99**

J.A.

Secretary
Gram Panchayat
Block Dev. Kullu (H.P.)

परिशिष्ट संख्या - 5
पृष्ठ संख्या - 5(?)

Financial position of 15 th FC of Gram Panchyat Dughilag					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	2557190.00	2319158.00	4876348.00	1053354.00	3822994.00
2023-24	3822994.00	603780.00	4426774.00	1790495.00	2636279.00

Secretary
Gram Panchayat
Block Dev Kullu (H.P.)

परिशिष्ट-5
पैरा संख्या 5(iii)

Financial position of MGNREGA of Gram Panchyat Dughilag

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	0.00	1716755.80	1716755.80	1716755.80	0.00
2023-24	0.00	1610015.00	1610015.00	1610015.00	0.00

J.A.

Secretary
Gram Panchayat
Block Dev Kullu (H.P.)

23

23

परिशिष्ट संख्या - 6
पेरा संख्या - 6(क)

कार्यालय ग्राम पंचायत डूघीलग

विकास खंड कुल्लू जिला कुल्लू

Detail of House Tax w. e.f. 04/2022 to 03/2024

Year	Number of House Holds	Ret Per House Hold	Opening Balance	Due Amount	Total	Received Amount	Balance Amount
2022-23	603	40	282880	24120	307000	0	307000
2023-24	644	40	307000	25760	332760	0	332760

Secretary
Gram Panchayat
Block Dev Kullu (H.P.)

J.A.

24

परिशिष्ट संख्या - 7
पैरा संख्या - 6(ज)

ग्राम पंचायत डूघीलग
विकास खंड कुल्लू जिला कुल्लू ।
अवधि 1-04-2022 से 31-03-2024 विवाह शुल्क प्राप्ति

क्र0 स0	दिनांक	प्राप्ति का विवरण	राशि
1	02/04/2022	विवाह शुल्क	200
2	12/04/2022	विवाह शुल्क	200
3	25/05/2022	विवाह शुल्क	200
4	08/06/2022	विवाह शुल्क	200
5	08/06/2022	विवाह शुल्क	200
6	15/06/2022	विवाह शुल्क	200
7	18/06/2022	विवाह शुल्क	200
8	21/07/2022	विवाह शुल्क	200
9	26/07/2022	विवाह शुल्क	200
10	09/08/2022	विवाह शुल्क	200
11	2/09/2022	विवाह शुल्क	200
12	15/09/2022	विवाह शुल्क	200
13	10/11/2022	विवाह शुल्क	200
14	2/12/2022	विवाह शुल्क	200
15	5/12/2022	विवाह शुल्क	200
16	23/12/22	विवाह शुल्क	200
17	23/12/22	विवाह शुल्क	200
18	7/01/2023	विवाह शुल्क	200
19	20/03/2023	विवाह शुल्क	500
20	9/4/2023	विवाह शुल्क	500
21	11/4/2023	विवाह शुल्क	600
22	28/04/2023	विवाह शुल्क	300
23	15/05/2023	विवाह शुल्क	300
24	23/05/2023	विवाह शुल्क	300
25	24/05/2023	विवाह शुल्क	300
26	08/06/2023	विवाह शुल्क	300
27	19/06/2023	विवाह शुल्क	300
28	25/07/2023	विवाह शुल्क	300
29	16/08/2023	विवाह शुल्क	300
30	23/08/2023	विवाह शुल्क	300
31	24/08/2023	विवाह शुल्क	300
31	25/08/2023	विवाह शुल्क	300
33	28/08/2023	विवाह शुल्क	300
34	26/10/2023	विवाह शुल्क	300
35	29/11/2023	विवाह शुल्क	300
36	02/01/2024	विवाह शुल्क	300
37	04/01/2024	विवाह शुल्क	300
38	27/02/2024	विवाह शुल्क	300
39	18/03/2024	विवाह शुल्क	300
कुल योग			**10600**

J.A

25

Secretary
Gram Panchayat
Block Dev. Kullu

परिशिष्ट संख्या - 8
पैरा संख्या - 7

<u>ग्राम पंचायत डुघीलग</u>

<u>विकास खंड कुल्लू</u>

<u>पांच लाख से अधिक स्वीकृत राशि की सूचि</u>

क्र स०	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	अप्वर्धन पंचायत घर	500000
2	नि० रोड मेन छुरला से बालक राम के घर की ओर	500000
3	निर्माण पक्का रास्ता सुममा गुड्डु के घर से फुगनी माता मन्दिर की ओर	500000
4	निर्माण पक्का रास्ता जाईरु से गाँव शीलधारी की ओर	500000
	कुल योग	**2000000**

J.A.

Secretary
Gram Panchayat ..S.....
Block Dev. Kullu (H.P.)

परिशिष्ट संख्या - 7
प्रश्न संख्या - 8(24)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
General head										
1	Adarsh Thakur	247/4/02/22	Sand	6300	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
2	do	do	Agg	8600	215	6.08	1.52	9.25	80	739.88
3	do	266/15/02/22	Agg	4000	100	2.83	1.52	4.30	80	344.13
4	do	264/14/3/22	Sand	6000	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
5	do	do	Agg	11700	300	8.49	1.52	12.90	80	1032.38
6	do	285/16/3/22	Agg	9360	240	6.79	1.62	11.00	80	880.24
7	do	do	Sand	8800	220	6.23	1.62	10.09	80	806.89
8	do	273/2/2/22	Sand	5754	137	3.88	1.62	6.28	80	502.47
9	do	do	Agg	2240	56	1.58	1.52	2.41	80	192.71
10	do	313	Sand	5840	146	4.13	1.62	6.69	80	535.48
11	do	do	Agg	3237	83	2.35	1.52	3.57	80	285.63
12	do	268/6/5/22	Sand	7200	180	5.09	1.62	8.25	80	660.18
13	do	do	Agg	3900	100	2.83	1.52	4.30	80	344.13
14	do	244/10/5/21	Sand	6000	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
15	do	do	Agg	5850	150	4.25	1.52	6.45	80	516.19
16	do	246/6/3/22	Sand	3200	80	2.26	1.62	3.67	80	293.41
17	do	do	Agg	6240	160	4.53	1.52	6.88	80	550.60
18	do	267/6/4/22	Sand	6000	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
19	do	do	Agg	7800	200	5.66	1.52	8.60	80	688.26
20	do	361/26/3/22	Sand	2600	65	1.84	1.62	2.98	80	238.40
21	do	do	Agg	5070	130	3.68	1.52	5.59	80	447.37
22	Jai Bir Nath Construction	926/26/8/22	Brics	31200	2600 No	0.00	0	0.00	0.05	130.00
23	do	927/28/8/22	Brics	31200	2600 No	0.00	0	0.00	0.05	130.00
24	do	925/26/8/22	Sand	12960	270	7.64	1.62	12.38	80	990.27
25	do	693/10/6/22	Brics	6000	500 No	0.00	0	0.00	0.05	25.00
26	do	694/7/6/22	Sand	9600	200	5.66	1.62	9.17	80	733.54
27	do	905/20/5/22	Sand	28800	600	16.98	1.62	27.51	80	2200.61
28	do	do	Agg	18400	400	11.32	1.52	17.21	80	1376.51
29	do	605/10/5/22	Sand	23041	480	13.58	1.62	22.01	80	1760.49
30	do	do	Agg	22080	480	13.58	1.52	20.65	80	1651.81
31	do	909/10/5/22	Sand	28800	600	16.98	1.62	27.51	80	2200.61
32	do	do	Agg	20194	439	12.42	1.52	18.88	80	1510.72
33	do	908/2/5/22	Sand	20064	418	11.83	1.62	19.16	80	1533.09
34	do	do	Agg	18400	400	11.32	1.52	17.21	80	1376.51
35	do	924/4/5/22	Agg	24380	530	15.00	1.52	22.80	80	1823.88
36	do	931	Sand	34994	728	20.60	1.62	33.38	80	2670.07
37	do	918	Sand	37674	819	23.18	1.62	37.55	80	3003.83
38	do	952/12/9/22	sand	21360	445	12.59	1.62	20.40	80	1632.12
39	do	953/12/9/22	Agg	40940	890	25.19	1.52	38.28	80	3062.74
40	do	950/10/9/22	Sand	21360	445	12.59	1.62	20.40	80	1632.12
41	do	951/10/9/22	Agg	28842	627	17.74	1.52	26.97	80	2157.68
42	do	956/24/9/22	Sand	16800	350	9.91	1.62	16.05	80	1283.69
43	do	do	Agg	4600	100	2.83	1.52	4.30	80	344.13
44	do	957/2/10/22	Sand	4800	100	2.83	1.62	4.58	80	366.77
45	do	972/10/12/22	Brics	39600	3300 No	0.00	0	0.00	0.05	165.00
46	do	9742012/23	Sand	7200	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
47	do	do	Agg	6900	150	4.25	1.52	6.45	80	516.19
48	do	127/1/3/23	Sand	1680	220	6.23	1.62	10.09	80	806.89
49	do	do	Agg	10120	35	0.99	1.52	1.51	80	120.44
50	do	911/22/7/22	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	80	623.51
51	do	do	Agg	9200	200	5.66	1.52	8.60	80	688.26
52	do	944/6/9/22	Brics	17400	1450 No	0.00	0	0.00	0.05	72.50
53	do	943/6/9/22	Brics	24000	2000 No	0.00	0	0.00	0.05	100.00
54	do	910/22/7/22	Sand	7680	160	4.53	1.62	7.34	80	586.83
55	do	do	Agg	9200	200	5.66	1.52	8.60	80	688.26
56	do	913/23/7/22	Sand	6000	125	3.54	1.62	5.73	80	458.46
57	do	do	Agg	7360	160	4.53	1.52	6.88	80	550.60
58	do	912/23/7/22	Sand	7680	160	4.53	1.62	7.34	80	586.83
59	do	do	Agg	2070	45	1.27	1.52	1.94	80	154.86

60	do	973/20/12/22	Sand	5760	120	3.40	1.62	5.50	80	440.12
61	do	do	Agg	4600	100	2.83	1.52	4.30	80	344.13
62	do	155/3/5/23	Brics	16830	1530 No	0.00	0	0.00	0.05	76.50
63	do	153/3/5/23	Sand	8600	200	5.66	1.62	9.17	80	733.54
64	do	do	Agg	5600	140	3.96	1.52	6.02	80	481.78
65	do	156/3/5/23	Sand	4300	100	2.83	1.62	4.58	80	366.77
66	do	do	Agg	8000	200	5.66	1.52	8.60	80	688.26
67	do	165/4/5/23	Sand	8170	190	5.38	1.62	8.71	80	696.86
68	do	do	Agg	5200	130	3.68	1.52	5.59	80	447.37
69	do	167/27/5/23	Sand	5891	137	3.88	1.62	6.28	80	502.47
70	do	do	Agg	7680	192	5.43	1.52	8.26	80	660.73
71	do	154/3/5/23	Sand	7740	180	5.09	1.62	8.25	80	660.18
72	do	do	Agg	2000	50	1.42	1.52	2.15	80	172.06
73	do	242/8/12/23	Sand	18000	300	8.49	1.62	13.75	80	1100.30
74	do	do	Agg	17400	300	8.49	1.52	12.90	80	1032.38
75	do	259/19/1/24	Brics	16720	1520 No	0.00	0	0.00	0.05	76.00
76	do	130/18/3/23	Sand	7680	160	4.53	1.62	7.34	80	586.83
77	do	do	Agg	7360	160	4.53	1.52	6.88	80	550.60
78	do	159/3/5/23	Brics	40491	3681 No	0.00	0	0.00	0.05	184.00
79	do	718/27/5/23	Sand	1720	40	1.13	1.62	1.83	80	146.71
80	do	do	Agg	5600	140	3.96	1.52	6.02	80	481.78
81	do	160/3/5/23	Sand	6450	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
82	do	do	Agg	6000	150	4.25	1.52	6.45	80	516.19
83	do	717/27/5/23	Sand	3870	90	2.55	1.62	4.13	80	330.09
84	do	164/4/5/23	Sand	10750	250	7.08	1.62	11.46	80	916.92
85	do	do	Agg	2400	60	1.70	1.52	2.58	80	206.48
86	do	166/4/5/23	Brics	44000	4000 No	0.00	0	0.00	0.05	200.00
87	do	162/3/5/23	Sand	8600	200	5.66	1.62	9.17	80	733.54
88	do	do	Agg	3000	75	2.12	1.52	3.23	80	258.10
89	do	799/2/9/23	Sand	6450	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
90	do	do	Agg	3000	75	2.12	1.52	3.23	80	258.10
91	do	237/6/09/23	Sand	4300	100	2.83	1.62	4.58	80	366.77
92	do	do	Agg	2000	50	1.42	1.52	2.15	80	172.06
93	do	800/2/9/23	Sand	6450	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
94	do	do	Agg	3000	75	2.12	1.52	3.23	80	258.10
95	do	606/30-07-22	Sand	3840	80	2.26	1.62	3.67	80	293.41
96	do	609/30/07/22	Agg	6960	145	4.10	1.52	6.24	80	498.99
97	do	697/30/07/22	Sand	3360	70	1.98	1.62	3.21	80	256.74
98	do	700/30/07/22	Sand	3840	80	2.26	1.62	3.67	80	293.41
99	do	698/30/07/22	Sand	9120	190	5.38	1.62	8.71	80	696.86
100	do	do	Agg	11040	240	6.79	1.52	10.32	80	825.91
101	do	204/05/07/22	Sand	8600	200	5.66	1.62	9.17	80	733.54
102	do	205/05/07/22	Sand	8600	200	5.66	1.62	9.17	80	733.54
103	do	202//5/07/22	Sand	8600	200	5.66	1.62	9.17	80	733.54
104	do	203/05/07/22	Sand	8600	200	5.66	1.62	9.17	80	733.54
105	do	742/01/09/23	Sand	6880	160	4.53	1.62	7.34	80	586.83
106	Adarsh Thakur	260/NIL	Sand	5880	140	3.96	1.62	6.42	80	513.48
107	do	243/05/02/22	Sand	6600	165	4.67	1.62	7.56	80	605.17
108	do	240/05/02/22	Agg	40950	1050	29.72	1.52	45.17	80	3613.34
109	do	257/NIL	Sand	30450	725	20.52	1.62	33.24	80	2659.07
110	do	258/NIL	Agg	50800	1270	35.94	1.52	54.63	80	4370.43
111	do	241/05/02/22	Sand	17320	433	12.25	1.62	19.85	80	1588.11
112	do	242/05/02/22	Agg	9165	235	6.65	1.52	10.11	80	808.70
	Total									**88365**

Santosh Kumar (J.A)
HP SAD Shimla-9

28

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	आय कर की दर	राशि
General head						
1	Adarsh Thakur	247/4/02/22	Sand	6300	1%	63.00
2	do	do	Agg	8600	1%	86.00
3	do	266/15/02/22	Agg	4000	1%	40.00
4	do	264/14/3/22	Sand	6000	1%	60.00
5	do	do	Agg	11700	1%	117.00
6	do	285/16/3/22	Agg	9360	1%	93.60
7	do	do	Sand	8800	1%	88.00
8	do	273/2/2/22	Sand	5754	1%	57.54
9	do	do	Agg	2240	1%	22.40
10	do	313	Sand	5840	1%	58.40
11	do	do	Agg	3237	1%	32.37
12	do	268/6/5/22	Sand	7200	1%	72.00
13	do	do	Agg	3900	1%	39.00
14	do	244/10/5/21	Sand	6000	1%	60.00
15	do	do	Agg	5850	1%	58.50
16	do	246/6/3/22	Sand	3200	1%	32.00
17	do	do	Agg	6240	1%	62.40
18	do	267/6/4/22	Sand	6000	1%	60.00
19	do	do	Agg	7800	1%	78.00
20	do	361/26/3/22	Sand	2600	1%	26.00
21	do	do	Agg	5070	1%	50.70
22	Jai Bir Nath Construction	926/26/8/22	Brics	31200	2%	624.00
23	do	927/28/8/22	Brics	31200	2%	624.00
24	do	925/26/8/22	Sand	12960	2%	259.20
25	do	101/15/1/23	Agg	9200	2%	184.00
26	do	do	Sand	12282	2%	245.64
27	do	693/10/6/22	Brics	6000	2%	120.00
28	do	126/8/2/23	Sand	7200	2%	144.00
29	do	694/7/6/22	Sand	9600	2%	192.00
30	do	905/20/5/22	Sand	28800	2%	576.00
31	do	do	Agg	18400	2%	368.00
32	do	605/10/5/22	Sand	23041	2%	460.82
33	do	do	Agg	22080	2%	441.60
34	do	909/10/5/22	Sand	28800	2%	576.00
35	do	do	Agg	20194	2%	403.88
36	do	908/2/5/22	Sand	20064	2%	401.28
37	do	do	Agg	18400	2%	368.00
38	do	924/4/5/22	Agg	24380	2%	487.60
39	do	923/4/5/22	Sand	28800	2%	576.00
40	do	931	Sand	34994	2%	699.88
41	do	918	Sand	37674	2%	753.48
42	do	952/12/9/22	sand	21360	2%	427.20
43	do	953/12/9/22	Agg	40940	2%	818.80
44	do	950/10/9/22	Sand	21360	2%	427.20
45	do	951/10/9/22	Agg	28842	2%	576.84
46	do	956/24/9/22	Sand	16800	2%	336.00
47	do	do	Agg	4600	2%	92.00
48	do	957/2/10/22	Sand	4800	2%	96.00

49	do	972/10/12/22	Brics	39600	2%	792.00
50	do	988/15/1/23	Sand	7200	2%	144.00
51	do	9742012/23	Sand	7200	2%	144.00
52	do	do	Agg	6900	2%	138.00
53	do	127/1/3/23	Sand	1680	2%	33.60
54	do	do	Agg	10120	2%	202.40
55	do	911/22/7/22	Sand	8160	2%	163.20
56	do	do	Agg	9200	2%	184.00
57	do	944/6/9/22	Brics	17400	2%	348.00
58	do	943/6/9/22	Brics	24000	2%	480.00
59	do	910/22/7/22	Sand	7680	2%	153.60
60	do	do	Agg	9200	2%	184.00
61	do	913/23/7/22	Sand	6000	2%	120.00
62	do	do	Agg	7360	2%	147.20
63	do	912/23/7/22	Sand	7680	2%	153.60
64	do	do	Agg	2070	2%	41.40
65	do	973/20/12/22	Sand	5760	2%	115.20
66	do	do	Agg	4600	2%	92.00
67	do	928/28/8/22	Sand	14400	2%	288.00
68	do	do	Agg	3450	2%	69.00
69	do	155/3/5/23	Brics	16830	2%	336.60
70	do	152/2/5/23	Sand	8600	2%	172.00
71	do	do	Agg	2480	2%	49.60
72	do	153/3/5/23	Sand	8600	2%	172.00
73	do	do	Agg	5600	2%	112.00
74	do	156/3/5/23	Sand	4300	2%	86.00
75	do	do	Agg	8000	2%	160.00
76	do	165/4/5/23	Sand	8170	2%	163.40
77	do	do	Agg	5200	2%	104.00
78	do	167/27/5/23	Sand	5891	2%	117.82
79	do	do	Agg	7680	2%	153.60
80	do	154/3/5/23	Sand	7740	2%	154.80
81	do	do	Agg	2000	2%	40.00
82	do	157/3/5/23	Sand	5590	2%	111.80
83	do	do	Agg	10400	2%	208.00
84	do	242/8/12/23	Sand	18000	2%	360.00
85	do	do	Agg	17400	2%	348.00
86	do	259/19/1/24	Brics	16720	2%	334.40
87	do	102/1/2/23	Sand	6000	2%	120.00
88	do	do	Agg	1840	2%	36.80
89	do	130/18/3/23	Sand	7680	2%	153.60
90	do	do	Agg	7360	2%	147.20
91	do	159/3/5/23	Brics	40491	2%	809.82
92	do	718/27/5/23	Sand	1720	2%	34.40
93	do	do	Agg	5600	2%	112.00
94	do	160/3/5/23	Sand	6450	2%	129.00
95	do	do	Agg	6000	2%	120.00
96	do	717/27/5/23	Sand	3870	2%	77.40
97	do	164/4/5/23	Sand	10750	2%	215.00
98	do	do	Agg	2400	2%	48.00
99	do	166/4/5/23	Brics	44000	2%	880.00
100	do	162/3/5/23	Sand	8600	2%	172.00

101	do	do	Agg	3000	2%	60.00
102	do	158/3/5/23	Sand	8600	2%	172.00
103	do	do	Agg	1280	2%	25.60
104	do	739/10/8/23	Sand	6450	2%	129.00
105	do	do	Agg	10000	2%	200.00
106	do	799/2/9/23	Sand	6450	2%	129.00
107	do	do	Agg	3000	2%	60.00
108	do	237/6/09/23	Sand	4300	2%	86.00
109	do	do	Agg	2000	2%	40.00
110	do	800/2/9/23	Sand	6450	2%	129.00
111	do	do	Agg	3000	2%	60.00
112	do	163/3/5/23	Sand	3354	2%	67.08
113	do	do	Agg	6000	2%	120.00
114	do	606/30-07-22	Sand	3840	2%	76.80
115	do	609/30/07/22	Agg	6960	2%	139.20
116	do	697/30/07/22	Sand	3360	2%	67.20
117	do	700/30/07/22	Sand	3840	2%	76.80
118	do	698/30/07/22	Sand	9120	2%	182.40
119	do	do	Agg	11040	2%	220.80
120	do	204/05/07/22	Sand	8600	2%	172.00
121	do	205/05/07/22	Sand	8600	2%	172.00
122	do	202//5/07/22	Sand	8600	2%	172.00
123	do	203/05/07/22	Sand	8600	2%	172.00
124	do	742/01/09/23	Sand	6880	2%	137.60
125	Adarsh Thakur	260/NIL	Sand	5880	1%	58.80
126	do	243/05/02/22	Sand	6600	1%	66.00
127	do	240/05/02/22	Agg	40950	1%	409.50
128	do	257/NIL	Sand	30450	1%	304.50
129	do	258/NIL	Agg	50800	1%	508.00
130	do	241/05/02/22	Sand	17320	1%	173.20
131	do	242/05/02/22	Agg	9165	1%	91.65
Total						**27247**

Santosh Kumar (J.A.)
HPSAD Shimla-9

31

पै०रा०ऑडिट प्रतिवेदन - 11
पैरा संख्या - 8 (ग)

क्र० सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	GST TDS ~~आयकर~~ की दर	राशि
General head						
1	Adarsh Thakur	247/4/02/22	Sand	6300	2%	126.00
2	do	do	Agg	8600	2%	172.00
3	do	266/15/02/22	Agg	4000	2%	80.00
4	do	264/14/3/22	Sand	6000	2%	120.00
5	do	do	Agg	11700	2%	234.00
6	do	285/16/3/22	Agg	9360	2%	187.20
7	do	do	Sand	8800	2%	176.00
8	do	273/2/2/22	Sand	5754	2%	115.08
9	do	do	Agg	2240	2%	44.80
10	do	313	Sand	5840	2%	116.80
11	do	do	Agg	3237	2%	64.74
12	do	268/6/5/22	Sand	7200	2%	144.00
13	do	do	Agg	3900	2%	78.00
14	do	244/10/5/21	Sand	6000	2%	120.00
15	do	do	Agg	5850	2%	117.00
16	do	246/6/3/22	Sand	3200	2%	64.00
17	do	do	Agg	6240	2%	124.80
18	do	267/6/4/22	Sand	6000	2%	120.00
19	do	do	Agg	7800	2%	156.00
20	do	361/26/3/22	Sand	2600	2%	52.00
21	do	do	Agg	5070	2%	101.40
22	Jai Bir Nath Construction	926/26/8/22	Brics	31200	2%	624.00
23	do	927/28/8/22	Brics	31200	2%	624.00
24	do	925/26/8/22	Sand	12960	2%	259.20
25	do	101/15/1/23	Agg	9200	2%	184.00
26	do	do	Sand	12282	2%	245.64
27	do	693/10/6/22	Brics	6000	2%	120.00
28	do	126/8/2/23	Sand	7200	2%	144.00
29	do	694/7/6/22	Sand	9600	2%	192.00
30	do	905/20/5/22	Sand	28800	2%	576.00
31	do	do	Agg	18400	2%	368.00
32	do	605/10/5/22	Sand	23041	2%	460.82
33	do	do	Agg	22080	2%	441.60
34	do	909/10/5/22	Sand	28800	2%	576.00
35	do	do	Agg	20194	2%	403.88
36	do	908/2/5/22	Sand	20064	2%	401.28
37	do	do	Agg	18400	2%	368.00
38	do	924/4/5/22	Agg	24380	2%	487.60
39	do	923/4/5/22	Sand	28800	2%	576.00
40	do	931	Sand	34994	2%	699.88
41	do	918	Sand	37674	2%	753.48
42	do	952/12/9/22	sand	21360	2%	427.20
43	do	953/12/9/22	Agg	40940	2%	818.80
44	do	950/10/9/22	Sand	21360	2%	427.20
45	do	951/10/9/22	Agg	28842	2%	576.84
46	do	956/24/9/22	Sand	16800	2%	336.00
47	do	do	Agg	4600	2%	92.00
48	do	957/2/10/22	Sand	4800	2%	96.00
49	do	972/10/12/22	Brics	39600	2%	792.00
50	do	988/15/1/23	Sand	7200	2%	144.00
51	do	9742012/23	Sand	7200	2%	144.00
52	do	do	Agg	6900	2%	138.00

(32)

53	do	127/1/3/23	Sand	1680	2%	33.60
54	do	do	Agg	10120	2%	202.40
55	do	911/22/7/22	Sand	8160	2%	163.20
56	do	do	Agg	9200	2%	184.00
57	do	944/6/9/22	Brics	17400	2%	348.00
58	do	943/6/9/22	Brics	24000	2%	480.00
59	do	910/22/7/22	Sand	7680	2%	153.60
60	do	do	Agg	9200	2%	184.00
61	do	913/23/7/22	Sand	6000	2%	120.00
62	do	do	Agg	7360	2%	147.20
63	do	912/23/7/22	Sand	7680	2%	153.60
64	do	do	Agg	2070	2%	41.40
65	do	973/20/12/22	Sand	5760	2%	115.20
66	do	do	Agg	4600	2%	92.00
67	do	928/28/8/22	Sand	14400	2%	288.00
68	do	do	Agg	3450	2%	69.00
69	do	155/3/5/23	Brics	16830	2%	336.60
70	do	152/2/5/23	Sand	8600	2%	172.00
71	do	do	Agg	2480	2%	49.60
72	do	153/3/5/23	Sand	8600	2%	172.00
73	do	do	Agg	5600	2%	112.00
74	do	156/3/5/23	Sand	4300	2%	86.00
75	do	do	Agg	8000	2%	160.00
76	do	165/4/5/23	Sand	8170	2%	163.40
77	do	do	Agg	5200	2%	104.00
78	do	167/27/5/23	Sand	5891	2%	117.82
79	do	do	Agg	7680	2%	153.60
80	do	154/3/5/23	Sand	7740	2%	154.80
81	do	do	Agg	2000	2%	40.00
82	do	157/3/5/23	Sand	5590	2%	111.80
83	do	do	Agg	10400	2%	208.00
84	do	242/8/12/23	Sand	18000	2%	360.00
85	do	do	Agg	17400	2%	348.00
86	do	259/19/1/24	Brics	16720	2%	334.40
87	do	102/1/2/23	Sand	6000	2%	120.00
88	do	do	Agg	1840	2%	36.80
89	do	130/18/3/23	Sand	7680	2%	153.60
90	do	do	Agg	7360	2%	147.20
91	do	159/3/5/23	Brics	40491	2%	809.82
92	do	718/27/5/23	Sand	1720	2%	34.40
93	do	do	Agg	5600	2%	112.00
94	do	160/3/5/23	Sand	6450	2%	129.00
95	do	do	Agg	6000	2%	120.00
96	do	717/27/5/23	Sand	3870	2%	77.40
97	do	164/4/5/23	Sand	10750	2%	215.00
98	do	do	Agg	2400	2%	48.00
99	do	166/4/5/23	Brics	44000	2%	880.00
100	do	162/3/5/23	Sand	8600	2%	172.00
101	do	do	Agg	3000	2%	60.00
102	do	158/3/5/23	Sand	8600	2%	172.00
103	do	do	Agg	1280	2%	25.60
104	do	739/10/8/23	Sand	6450	2%	129.00
105	do	do	Agg	10000	2%	200.00
106	do	799/2/9/23	Sand	6450	2%	129.00
107	do	do	Agg	3000	2%	60.00
108	do	237/6/09/23	Sand	4300	2%	86.00

109	do	do	Agg	2000	2%	40.00
110	do	800/2/9/23	Sand	6450	2%	129.00
111	do	do	Agg	3000	2%	60.00
112	do	163/3/5/23	Sand	3354	2%	67.08
113	do	do	Agg	6000	2%	120.00
114	do	606/30-07-22	Sand	3840	2%	76.80
115	do	609/30/07/22	Agg	6960	2%	139.20
116	do	697/30/07/22	Sand	3360	2%	67.20
117	do	700/30/07/22	Sand	3840	2%	76.80
118	do	698/30/07/22	Sand	9120	2%	182.40
119	do	do	Agg	11040	2%	220.80
120	do	204/05/07/22	Sand	8600	2%	172.00
121	do	205/05/07/22	Sand	8600	2%	172.00
122	do	202//5/07/22	Sand	8600	2%	172.00
123	do	203/05/07/22	Sand	8600	2%	172.00
124	do	742/01/09/23	Sand	6880	2%	137.60
125	Adarsh Thakur	260/NIL	Sand	5880	2%	117.60
126	do	243/05/02/22	Sand	6600	2%	132.00
127	do	240/05/02/22	Agg	40950	2%	819.00
128	do	257/NIL	Sand	30450	2%	609.00
129	do	258/NIL	Agg	50800	2%	1016.00
130	do	241/05/02/22	Sand	17320	2%	346.40
131	do	242/05/02/22	Agg	9165	2%	183.30
Total				1505773		**30115.46**

Santosh Kumar (J.A.)
HPSAD Shimla - 9

(34)